न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, ग्वालियर

R 1359-PBR-17

1. विकास मालवीय आयु करीब 38 वर्ष आत्मज श्री फूलचंद मालवीय
2. अभिनव मालवीय आयु करीब 25 वर्ष आत्मज श्री कैलाश मालवीय
3. अभिषेक मालवीय आयु करीब 20 वर्ष आत्मज श्री कैलाश मालवीय

उपरोक्त तीनों निवासी ग्राम रायपुर
तहसील व जिला होशंगाबाद————————————————याचिकाकर्ता

बनाम

1. ज्योति पुत्री विजय शंकर
2. चिन्ता पुत्री विजय शंकर
3. नीता पुत्री विजय शंकर
4. सीमा पुत्री विजय शंकर

सभी निवासी रायपुर
तहसील व जिला होशंगाबाद

5. कृष्ण बिहारी वल्द रामबिहारी,
6. विपिन बिहरी वल्द रामबिहारी
7. कमलेश बिहारी वल्द रामबिहारी

उपरोक्त 5 लगायत 7
निवासी– स्वर्णकार कालोनी विदिशा

8. शीला वल्द रामबिहारी
9. किरण वल्द रामबिहारी

उपरोक्त 8 लगायत 9 निवासी–स्वर्णकार कालोनी विदिशा————————उत्तरवादीगण

श्री .... द्वारा आज दि. 12-5-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता :–

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षणयाचिका न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्र.15–अ/06 वर्ष 2002–03 ग्राम रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद जिसके पक्षकार मन्ना प्रसाद विरूद्ध कृष्णबिहारी व अन्य हैं, में पारित आदेश दिनांक 22.04.2003 एवं उक्त कार्यवाही के आधार पर न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय होशंगाबाद के समक्ष लंबित प्रकरण क्र. 48/याचिका/अ–6/2015–16 मौजा रायपुर में पारित अपीलीय कार्यवाही दिनांक 26.04.2016 से क्षुब्द एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1359–पीबीआर / 2017 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.4.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, परंतु वादग्रस्त आदेश की सत्य प्रतिलिपि संलग्न नहीं की गई है । अतः प्रथम दृष्टया यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 48 के उल्लंघन में प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	